समाहरणालय, रोहतास (सासाराम)

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

(आदेश)

मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1837, दिनांक–21.12.2017 के आदेशानुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पुराने पेंशनधारी जिन्हें भुगतान नहीं मिल रहा हो, उनको पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018 एवं पुनः दिनांक 27.01.2018 से 17.02.2018 तक अभियान के रूप में विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है।

(क) विशेष शिविर का उदेश्य :–

(1) पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों के नाम पेंशन सूची में किसी कारणवश छुट गया है, और उनका नाम ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है वैसे पेंशनधारियों का शिविर मे सतत्–प्रतिशत डाटा अपलोड करना है। ताकि सभी पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान किया जा सके।

(2) जिन पेंशनधारियों का नाम डिजिटाईज हुआ है परंतु कई पेंशनधारियों का बैंक के नाम में भिन्नता के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। अतः इस शिविर में ऐसे मामले को संबंधित अभिलेखो (बैंक खाता/आधार कार्ड) से सत्यापन सुधार कर पुनः बेवसाइट पर अपलोड किया जाय।

(3) वरीय तकनिकी निदेशक, **NIC** पटना के द्वारा दिनांक 29.12.2017 को विडियों कॉनफ्रेंसिंग में बताया गया की ई–लाभार्थी पोर्टल पर लाभार्थी का नाम खाता संख्या, आधार संख्या आदि अपलोड करने हेतु खोल दिया गया है। जो दिनांक 17.02.2018 ही कार्यरत रहेगा। अतः समय सीमा के अन्दर छूटे हुए पेंशनधारियों का शतप्रतिशत डाटा आपलोड ई–लाभार्थी पोर्टल पर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना है कि कोई भी छुटे पेंशनधारी का डाटा अपलोड करना शेष नहीं है।

(ख) शिविर के पूर्व की तैयारी :–

(4) छुटे हुए/भुगतन नहीं मिल रहे पुराने पेंशनधारियों के लिए प्रखण्ड/वार्ड स्तर पर दिनांक 05.01.2018 से 14.01. 2018 तक शिविर का आयोजन किया जाय। प्रखण्ड/नगर परिषद स्तर पर उक्त अवधि के लिए शिविर आयोजन हेतु रोस्टर–तिथि, समय, स्थान आदि निर्धारित होगा। प्रखण्ड/वार्ड में सुविधानुसार 3–4 या उससे अधिक पंचायत/वार्ड के समुह का निधारण किया जायेगा। आवश्यकतानुसार दुसरे चरण का शिविर दिनांक 27.01.2018 से 17.02.2018 तक चलाई जाय ताकि कोई मामला छुटे नहीं रहे।

(5) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव, विकास मित्र, एवं आंगनवाडी सेविका को अपने स्तर से शिविर में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,/कार्यपालक पदाधिकारी, द्वारा शिविर के आयोजन के संबंध में सामाचार पत्र माईक पोस्टर आदि की सहायता से प्रचार प्रसार किया जाय। तथा शिविर आयोजन की सुचना स्थानीय जनप्रतिनिधी यथा मुखिया, वार्ड सदस्य, विधायक, एवं पार्षद, को भी दी जाय।

(ग) शिविर का आयोजन :–

(6) शिविर में विभिन्न कार्यों के लिए अलग–अलग काउन्टर होंगे शिविर के आयोजन प्रखण्ड मुख्यालय के वैसे भवन में होंगे जहा पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध हो ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे।

- प्रत्येक शिविर में **Internet** सुविधा युक्त कम से कम चार कम्पयुटर सेट (ऑपरेटर सहित) की व्यवस्था प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, द्वारा की जायेगी।
- शिविर में आधार पंजीकरण हेतु अधिकृत आधार एजेंसी का एक काउन्टर लगाया जाय ताकि आवश्यकतानुसार आधार कार्ड बनाया जाय एवं उसमे कोई संशोधन किया जा सके।
- इसी प्रकार प्रत्येक शिविर में बैंक खाता खोलने हेतु कम से कम एक काउन्टर की व्यवस्था की जाय।
- छुटे हुए/भुगतान नहीं मिल रहे पुराने पेंशनधारियों का अपने दावा के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाणक यथा–
  (क) पेंशन पासबुक अथवा स्वीकृत्यादेश की प्रति/अथवा पूर्व में पेंशन प्राप्त होने का कोई अन्य प्रमाणिक साक्ष्य
  (ख) पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति जिसमें नाम एवं बैंक खाता संख्या स्पष्ट अंकित हो

(ग) आधार कार्ड अथवा जिनके पास आधार कार्ड अथवा बैंक खाता नहीं हो तो शिविर में ही आधार कार्ड बनवाया जाय एवं खाता खुलवाया जाय।

- उपरोक्त प्रमाणक के आधार पर ई–लाभार्थी पोर्टल/भुगतान पंजी से जांच कर ली जाय। सत्यापित योग्य पेंशनधारी का डाटा यदि ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड नहीं है, तो तत्काल ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।
- वैसे पेंशनधारी जिनका आधार नहीं है उनका आधार पंजीकरण कर **Enrollment ID** को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।
- इस बात का ध्यान रखा जाय कि ई–लाभार्थी पोर्टल में पेंशनधारी का नाम, बैंक खाता एवं आधार में उनका नाम समान हो, अन्यथा ई–लाभार्थी पोर्टल में नाम दर्ज होने पर भी इनके खाता में राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा। अतः शिविर में ऐसे मामलोंमें नामों के इस अंतर को दूर कर सम्बंधित अभिलेखों (बैंक खाता/आधार कार्ड) में सुधार कर लिया जाय। पोर्टल में दर्ज मामलों मे पंचायतवार **PFMS** अस्वीकृत पेंशनधारियों की सूची डाउनलोड कर तत्काल त्रुटि निराकरण करते हुए पुनः वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
- इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि यदि कोई 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी वृद्धावस्था पेंशन के साथ–साथ अन्य पेंशन यथा विधवा पेंशन दिव्यांगता पेंशन के लिए भी योग्य हों तो उनको वद्धावस्था पेंशन के स्थान पर विधवा/दिव्यांगता पेंशन में दर्ज किया जाय।

इसी प्रकार कोई पेंशनधारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार–दोनों की पेंशन योजना के लिए योग्य हों तो उन्हें भारत सरकार की पेंशन योजना के तहत दर्ज किया जाय।

- 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारी को वृद्धवस्था पेंशन के तहत दर्ज किया जाय ताकि पेंशन धारी को अकिाधिक पेंशन मिल सके।
- **PFMS** द्वारा स्वीकृत परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा **LOCK** करनें हेतु लंबित मामलों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बिना शिविर के आयोजन की प्रतीक्षा किये अविलम्ब **LOCK** किया जाय। तथा तत्क्षण उसे सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा भी **Lock** कर दिया जाय। इसमें एक दिन का भी विलम्ब नहीं किया जाय।

(घ) अन्यान्य :–

(i) शिविर में **First Aid** पेयजल, सुरक्षा, आदि की व्यवस्था के लिए संबंधित **PHC,** थाना को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निदेशत किया जायेगा।

(ii) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, शिविर में भ्रमणशिल रहेंगे। तथा शिविर के संबंध में अपना प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सौपेंगे।

दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018 तक एवं 27.01.2018 से 17.02.2018 तक विशेष शिविर में छुटे हुए पेंशनधारियों का डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंतिम शिविर होने के पश्चात् इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा की कोई पेंशनधारी का डाटा अपलोड करना शेष नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

ज्ञापांक 842 /सा0सु0को0, रोहतास, दिनांक 30/12/17

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला रोहतास/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, ससाराम / डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D/letter14/Aadesh

प्रतिलिपिः– सभी संम्बद्ध थाना के थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अग्रणी जिला प्रबंधक, रोहतास तथा सभी बैंको के जिला समन्वयक को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त आदेश को जिला वेबसाईट पर संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, रोहतास सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इस कार्यक्रम कें व्यापक प्रचार प्रसार हेतु स्थानिय दैनिक हिन्दी सामाचार पत्रों में लागातार 15.02.2018 तक प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, सासाराम/डिहरी/ बिक्रमगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम/डिहरी/बिकमगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– असैनिक शल्य चिकित्सक, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग रोहतास, सासाराम को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, **DRDA** को आधार पंजीकरण के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता –सह– वरीय पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष जिला परिषद सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी माननीय विधायक जिला रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय प्रभारी मंत्री जिला रोहतास, सासाराम को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय सांसद श्री छेदी पासवान को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।